(131)

पत्रांक –1 / विविध–810 / 2015 का॰–......935....../

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

राजीव गौबा,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / महानिदेशक, पुलिस
सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखण्ड

राँची, दिनांक 2/2/16

**विषय :** **सम्पत्ति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने का प्रभाव निगरानी स्वच्छता एवं प्रोन्नति पर पड़ने के सम्बन्ध में।**

**संदर्भ :** **पूर्व का पत्रांक–2423 दिनांक 16.03.2015**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया स्मरण किया जाय जिसमें सरकार के सभी पदाधिकारियों / कर्मियों (चतुर्थ वर्गीय को छोड़कर) को अपनी सम्पत्ति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने सम्बन्धी निदेश दिया गया था, परन्तु यह देखा जा रहा है कि अधिकांश संवर्ग के पदाधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा यह ससमय उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह काफी गम्भीर स्थिति है।

पूर्व के पत्र में यह निदेश दिया गया था कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारी / कर्मचारी अगर ससमय अपनी सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाय।

पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(राजीव गौबा)
**मुख्य सचिव,**
**झारखण्ड।**

सं० स० (श्री राम) 4/2/16
Dy. Sec. 5/2/16
748 4/2/16
प्र० पदा० (राजपत्रित) संचिका में वेबसाइट पर सूचनार्थ डालें। 05.2

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
ज्ञापांक 535 दिनांक 10/2/16
Letter
प्रतिलिपि:- झारखण्ड वित्त सेवा के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.02.16
सरकार के उप सचिव